::–कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर–::

::–कार्यालय आदेश–::

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग/राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, पंचायतीराज एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितो की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद के कुल 47 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है। चूंकि अभ्यर्थियों द्वारा वांछित जिलों में पद रिक्त नही होने के कारण संबंधित जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थी को दिनांक 17.01.22 .... तक निदेशालय की ईमेल आईडी. sogad2015@gmail.com पर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र (समस्त 33 जिलों की वरीयता अनुसार प्राथमिकता)प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से सूचित करे :–

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्पुयटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्वन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

22. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।

23. जिन प्रकरणो मे शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तो एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों मे कार्मिक विभाग के पत्र मे वर्णित शर्तो की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक : 08-01-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त को सूचनार्थ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थी को दिनांक .... तक निदेशालय की ईमेल आईडी. sogad2015@gmail.com पर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से सूचित करे।
7. श्री...को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)............. कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली ।

08.01.2022
सहायक निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :— कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए–4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक 08|01|2022 के तहत 47 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति के अनुमोदन किए गए हैं। जिला आवंटन हेतु अभ्यर्थी विकल्प पत्र दिनांक 17.1.22 तक निदेशालय की ईमेल आईडी. sogad2015@gmail.com पर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। जिला आवंटन हेतु पृथक से आदेश जारी किये जाऐंगे। जिनका विवरण इस प्रकार है :– (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/–रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि
1	अनिता लेखरा एमए 28.10.1987	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	आयुष गोटन व्याख्याता	04.05.21
2	मनीष शर्मा एम.कॉम. 02.04.1995	पुत्र	25.08.2021 कनिष्ठ सहायक	दिनेश कुमार शर्मा प्र.शा.स.	23.07.21
3	ज्योति चौहान वीए. 30.07.1996	पुत्री	09.06.2021 कनिष्ठ सहायक	प्रेम सिंह चपरासी	11.05.21
4	गौरव राजावत सी.सै. 10.07.1997	पुत्र	15.06.2021 कनिष्ठ सहायक	गजराज सिंह चपरासी	05.05.21
5	रेशमा यादव सी.सै. 24.07.1994	पत्नी	10.08.2020 कनिष्ठ सहायक	ओम प्रकाश यादव प्रधानाचार्य	19.06.20
6	श्वेता मीणा सी.सै. 10.03.1995	पुत्री	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	कालूराम मीणा अध्यापक	09.04.21
7	मनीष कुमार मीणा सी.सै. 28.10.1999	पुत्र	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	शंभु दयाल मीणा व.अ.	21.04.21
8	रेखा शर्मा स्नातक 10.12.1994	पत्नी	09.10.2020 कनिष्ठ सहायक	हनुमान सहाय शर्मा कानि. क–2	16.08.20
9	आशीष कुमार शर्मा सी.सै. 10.03.1996	पुत्र	04.08.2021 कनिष्ठ सहायक	गणेश नारायण शर्मा अध्यापक	14.05.21
10	अभिलाषा सिंह सी.सै. 16.06.2001	पुत्री	11.06.2021 कनिष्ठ सहायक	अंजना कुमारी वरि.अध्यापक	26.04.21
11	प्रज्ञा जैमन स्नातकोत्तर 20.06.84	पत्नी	14.06.2021 कनिष्ठ सहायक	हेमन्त कुमार कटारा वरिष्ठ अध्यापक	08.05.21
12	अनुराधा वी.ए. 25.09.1988	पत्नी	26.04.2021 कनिष्ठ सहायक	रमनलाल वर्मा अध्यापक प.राज.	18.03.21
13	रिशिका सिसोदिया वीए 16.08.1997	पुत्री	04.06.2021 कनिष्ठ सहायक	महेन्द्र प्रताप प्र.शा.स.	20.04.21
14	गुरुदत्त वर्मा सी.सै. 05.05.2002	पुत्र	26.10.2020 कनिष्ठ सहायक	रामरतन मेघवाल अध्यापक पंराज	21.10.07
15	पूनम सैनी एमए 11.02.1983	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	कृष्ण गोपाल सैनी व्याख्याता	07.05.21
16	उमेश पालीवाल सी.सै. 26.01.2002	पुत्र	27.08.2020 कनिष्ठ सहायक	रघुवीर सिंह व.शा.शि.	09.12.17

Rajasthan Education Department

17	रामजीलाल मीणा सी.सै. 10.02.2001	पुत्र	15.07.2021 कनिष्ठ सहायक	खमजी राम मीणा वरिष्ठ अध्यापक	02.06.21
18	धीरज कुमार साहू सी.सै. 28.03.1983	पति	06.01.2021 कनिष्ठ सहायक	वसन्ती साहू अध्यापक	03.12.20
19	रोहित गोयर एम.ए. 10.07.1990	पुत्र	14.11.2019 कनिष्ठ सहायक	रागस्वरूप गोयर कम्पाउण्डर क–2	01.11.19
20	बसन्ती देवी शर्मा बीए. 08.02.1988	पत्नी	25.06.2021 कनिष्ठ सहायक	संदीप दाधीच क.स.	05.05.21
21	सीता कुमारी गुर्जर बीए. 02.07.1991	पत्नी	07.05.2021 कनिष्ठ सहायक	जयलाल गुर्जर अध्यापक प्राशि	27.03.21
22	युवराज प्रजापत सी.सै. 10.10.2001	पुत्र	25.01.2021 कनिष्ठ सहायक	सांवरलाल चश्रेक	15.12.20
23	रामेश्वर लाल सी.सै. 30.09.1992	पुत्र	13.07.2021 कनिष्ठ सहायक	मनोहर लाल चश्रेक	19.04.21
24	युवराज कुमावत सी.सैं. 15.12.2001	पुत्र	16.07.2020 कनिष्ठ सहायक	कैलाश चन्द कुमावत अध्या. प्रा.शि.	07.09.17
25	मूमल राठौड सी.सै. 11.04.2000	पुत्री	05.03.2021 कनिष्ठ सहायक	बजरंग सिंह वरिष्ठ अध्यापक	23.01.21
26	नितीश कुमार राव सी.सै. 26.10.1999	पुत्र	06.08.2020 कनिष्ठ सहायक	शिवकुमारी व्याख्याता	21.02.15
27	जितेन्द्र कुमार तरूण सी.सै. 24.11.1999	पुत्र	25.04.2021 कनिष्ठ सहायक	नारायण राम मेघ सप्रअ.	01.04.21
28	ज्योति बिट्टू बीए. 30.10.1998	पत्नी	04.05.2021 कनिष्ठ सहायक	नरेन्द्र सिंह खिड़िया क.स.	08.04.21
29	नीतिन गुलाटी सी.सै. 15.11.2001	पुत्र	14.09.2020 कनिष्ठ सहायक	हरजीत कौर प्र.अ. प्राशि.	26.10.11
30	मंजू कुमारी स्नातक 19.08.1992	पत्नी	11.06.2021 कनिष्ठ सहायक	महेश दायां व्याख्याता	01.05.21
31	आशीष खत्री स्नातक 13.04.1994	पुत्र	18.05.2021 कनिष्ठ सहायक	नीरज कुमार खत्री स.प्र.अ.	25.04.21
32	मनीषा कविया बी.ए. 12.11.1998	पुत्री	09.09.2020 कनिष्ठ सहायक	कैलाश दान अध्यापक प.राज.	03.08.05
33	मैना जुणावा बी.ए. 12.06.1995	पत्नी	02.07.2021 कनिष्ठ सहायक	बलवन्त डूडी अध्यापक पं.राज.	10.05.21
34	मुकुल शिरीषवाल सी.सै. 12.08.1999	पुत्र	31.05.2021 कनिष्ठ सहायक	लड्डूराम माली व.अ.	23.04.21
35	कमल सैनी बीए. 23.09.1996	पुत्र	09.04.2021 कनिष्ठ सहायक	मुरारी लाल माली चश्रेक.	11.03.21
36	पिंकी कुमारी नामा बीए. 05.07.1989	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र कुमार छीपी व्याख्याता	01.05.21
37	सौरभ कुमार सिसोदिया एम.ए. 07.12.1991	पुत्र	05.07.2021 कनिष्ठ सहायक	कलावती टाटावत अध्यापक	02.05.21
38	मनीष मेरोठा सी.सै. 10.08.2002	पुत्र	22.08.2020 कनिष्ठ सहायक	हरिकिशन धोबी प्रबोधक पं. राज.	09.05.16

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

39	भगवान राम सी.सै. 05.07.1994	पुत्र	08.03.2021 कनिष्ठ सहायक	नाथाराम चश्रेक माशि	23.01.21
40	राहुल भार्गव सी.सै. 20.04.2002	पुत्र	20.03.2020 कनिष्ठ सहायक	गौतमचन्द भार्गव प्रबोधक पंराज	18.01.20
41	महावीर सारण सी.सै. 10.10.2001	पुत्र	18.11.2019 कनिष्ठ सहायक	प्रेमाराम प्रबोधक पंराज	16.01.17
42	प्रेमप्रकाश सी.सै. 18.03.2002	पुत्र	20.03.2020 कनिष्ठ सहायक	पुरखाराम अध्यापक प्राशि	06.06.17
43	गोविन्द सैन सी.सै. 01.05.2003	पुत्र	07.07.2021 कनिष्ठ सहायक	दिनेश सैन कनिष्ठ सहायक माशि	17.04.21
44	पुष्पेन्द्रसिंह पंवार बीए 28.03.1996	पुत्र	14.10.2021 कनिष्ठ सहायक	सुरेश सिंह पंवार अध्यापक माशि	31.08.21
45	राकेश पुरोहित बीकॉम 14.07.1993	पुत्र	04.08.2021 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित प्रबोधक पंराज	09.07.21
46	नरपतसिंह सी.सै. 15.02.1976	पति	24.08.2020 कनिष्ठ सहायक	मीनू कंवर प्रबोधक पंराज	28.07.20
47	चित्रांश लोकेश माथुर बीए 28.09.1999	पुत्र	21.06.2021 कनिष्ठ सहायक	सतीश बाबू माथुर वरिष्ठ सहायक माशि	05.05.21

नोट :– क्र.सं. 14, 16, 24, 26, 29, 32, 41, 42 एवं 46 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा वांछित जिलों में पद रिक्त नही होने के कारण संबंधित जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता हैं कि वे उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 17.01.2022 तक निदेशालय की ईमेल आईडी. sogad2015@gmail.com पर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से सूचित करे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर